स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय कपकोट

ई – विवरणिका

E- Prospectus

2021-2022

महाविद्यालय का परिचय

स्व0 चन्द्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय कपकोट ,उत्तराखण्ड के जनपद बागेश्वर के मुख्यालय से 23 कि0मी0दूर कपकोट तहसील के ग्राम असों में शासनादेश संख्या 304/XXIV/2005 दिनांक 16 नवम्बर 2005 के तहत 2005 में स्नातक महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। सत्र 2006-07 में हिन्दी,संस्कृत, अंग्रेजी, चित्रकला, गृह विज्ञान एवं अर्थशास्त्र विषयों में कु0वि0वि0 से अस्थाई सम्बद्धता प्राप्ति पर 67 छात्र/छात्राओं के प्रवेश के साथ इन्टर कालेज असों परिसर के चार कक्षों में प्रारम्भ हुआ। वर्ष 2010 में शासन से इतिहास एवं समाजशास्त्र विषय में एवं 2013 में शिक्षा शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र विषयों की स्नातक स्तर पर स्वीकृति मिली। 2016 में भूगर्भ विज्ञाान विषय स्नातक स्तर पर स्वीकृत हुआ। शासनादेश संख्या 527 (1)/ XXIV (7)/2016-25(घो0)/15 दिनांक 21 अक्टूबर 2016 के तहत हिन्दी, संस्कृत, गृह विज्ञान, एवं चित्र कला विषयों के स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित करने की स्वीकृति मिली। सत्र 2020-2021 में छात्र/छात्रायें अध्ययनरत 326 रहे ।वर्तमान में महाविद्यालय को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा से सम्बद्धता प्राप्त है । महाविद्यालय में वर्ष 2010 से उ0मु0वि0वि0 का अध्ययन केन्द्र संचालित है। महाविद्यालय सितंबर 2012 से यू0जी0 सी0 की धारा 2 एफ से आच्छादित है। महाविद्यालय पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं। पाठ्येत्तर क्रिया कलापों के तहत एन0सी0सी0 एन0एस0एस0 इकाई कार्य कर रही है,कैरियर परामर्श, क्रीड़ा गतिविधियाँ आदि का आयोजन किया जाता है।

स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही जी एक परिचय

प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्र सिंह शाही जी का जन्म 12 अगस्त 1909 को ग्राम असों कपकोट जनपद बागेश्वर में हुआ था। देश सेवा की भावना से ओत-प्रोत होकर 17 फरवरी 1941 ई को उन्होंने प्रथम बार व्यक्तिगत सत्याग्रह किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा, बरेली, लखनऊ आदि जेल में भी बंद रहे । 27 दिसंबर 1944 ई0 को कपकोट में मंडल कांग्रेस की स्थापना की और मंत्री बने । 1948 से 1958 तक वे जिला बोर्ड अल्मोड़ा के निर्वाचित सदस्य रहें ।1950 में असों में जूनियर हाई स्कूल समिति और जूनियर हाई स्कूल कर्मी की स्थापना में सहयोग दिया । शाही जी ने बागेश्वर से कपकोट तक श्रमदान से सड़क बनवाई, सड़क निर्माण में दानपुर के प्रत्येक गांव के नागरिकों ने सहयोग दिया। सामाजिक कार्यों को करने में उनकी विशेष रुचि रही। क्षेत्र के चहुँमुंखी विकास हेतु उन्होंने अंधविश्वास, रूढ़िवादिता तथा अशिक्षा को दूर करने का प्रयास किया। स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही को स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा ताम्रपत्र भेंट किया गया। 12 मार्च 1988 को उनका देहांत हो गया। शाही जी के अविस्मरणीय कार्यों को याद करते हुए उनके सम्मान में सन् 2015 से महाविद्यालय का नाम **राजकीय महाविद्यालय कपकोट** से बदलकर **स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय कपकोट कर दिया गया ।**

महाविद्यालय परिवार छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों एवं सुविधा प्रदान करने में हमेशा तत्पर रहता है , इस क्रम में महाविद्यालय में छात्र – छात्राओं को निम्न सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं-

1- कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल- इसमें छात्रों के करियर के विषय में चयन, तैयारी और नियोजन संबंधी परामर्श दिया जाता है जिसका उद्देश्य अनिश्चितता, बेचैनी तथा भावनात्मक तनावों का निवारण करना है, ताकि वे सुदृढ तथा सशक्त होकर सही निर्णय ले सके। प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों एवं व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में यहां व्याख्यानों और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

2-पुस्तकालय- महाविद्यालय के पुस्तकालय से स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को 04 पुस्तके निर्गत की जा सकेंगी।

अ. पुस्तके सामान्यतः एक माह के लिए निर्गत की जाती हैं। विद्यार्थी एक माह बीत जाने पर पुस्तक बदल सकते हैं।

ब. विद्यार्थियों को महाविद्यालय के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें जमा किए बिना नो ड्यूज (अदेय प्रमाण पत्र) नहीं दिया जाएगा।

स. पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए विद्यार्थियों को स्वयं उपस्थित होना है, बिना परिचय पत्र के पुस्तके निर्गत नहीं की जाएगी। प्रत्येक कक्षा की पुस्तक निर्गत करने हेतु समय सारणी निर्धारित की जाएगी। विद्यार्थी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर ही पुस्तक ले सकेगा। समय सारणी समय-समय पर सूचना पट पर चस्पा कर दी जाएगी।

3- **वाचनालय**- महाविद्यालय में छात्रों एवं छात्रों के लिए वाचनालय की व्यवस्था है, जिसमें हिंदी व अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने खाली वादनो में वाचनालय में बैठकर इन पत्र- पत्रिकाओं को पढ़कर समय का सदुपयोग करें।

4-**एन0सी0सी0 (राष्ट्रीय कैडेट कोर)-** छात्र-छात्राएं स्नातक स्तर पर एन0सी0सी0 में प्रवेश ले सकते हैं वर्तमान में छात्र-छात्राओं हेतु एन0सी0सी0 में 100 सीटे हैं।

5- राष्ट्रीय सेवा योजना-स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षणेत्तर कार्यकलापों द्वारा समाज की सेवा करना है वर्तमान में इसकी दो इकाइयां कार्यरत हैं। प्रत्येक इकाई हेतु निर्धारित 100 छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर कुल 200 छात्र/छात्रओ का एन0एस0एस0 में पंजीकरण किया जाता है।

6- क्रीड़ा एवं खेलकूद- महाविद्यालय में क्रिकेट ,वॉलीबॉल, कैरम ,शतरंज एवं बैडमिंटन आदि की व्यवस्था है।

7-<u>छात्रवृत्तियां तथा आर्थिक अनुदान</u>- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस हेतु सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, पिता का आय प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना ना हो, गत वर्ष उत्तीर्ण अंक तालिका (यदि गैप है तो शपथ पत्र) आदि के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर को जमा करेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तथा निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन अवश्य प्रस्तुत कर दें। सामान्य वर्ग के निर्धन व मेधावी छात्रों को निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता दी जाती है।

8-<u>छात्र संघ</u> - लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के आधार पर कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ संविधान के अधीन प्रत्येक वर्ष छात्र संघ के चुनाव कराए जाते हैं। जिससे छात्रों को संप्रेषण कौशल तथा लोकतांत्रिक नेतृत्व क्षमता का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। इस संदर्भ में सभी विद्यार्थियों को सचेत किया जाता है कि छात्र संघ निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री अथवा पोस्टर दीवारों पर लिखना, स्टीकर आदि महाविद्यालय या शहर में नहीं लगाए जाएंगे। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं।

9-<u>सांस्कृतिक परिषद</u>- छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण चारित्रिक विकास में सांस्कृतिक परिषद का विशेष योगदान होता है। महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसके पदाधिकारी महाविद्यालय के नियमित छात्र-छात्राएं होते हैं। परिषद के तत्वाधान में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

10-<u>विभागीय परिषद</u>- स्नातक स्तर के सभी विषयों में परिषदों का गठन किया जाता है। इन परिषदों के तत्वाधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

11- <u>शास्ता मण्डल</u>-महाविद्यालय का शास्ता मंडल परिसर में सामान्य अनुशासन सुनिश्चित करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के सलाहकार का कार्य करता है। इसमें मुख्य शास्ता तथा अन्य सदस्य शास्ता होते हैं।

12-<u>महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ</u>-इसका गठन संस्थागत छात्राओं को समुचित सुरक्षा प्रदान करने व संपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। छात्राएं अपनी किसी भी समस्या के विषय में यहां संपर्क कर सकती हैं।

13 - **<u>छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ</u>** - इसका गठन संस्थागत छात्र- छात्राओं को समुचित सुरक्षा प्रदान करने व संपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है।

14- <u>एण्टी-रैगिंग समिति</u>- महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूर्णतया निषिद्ध है। यदि रैगिंग में किसी छात्र-छात्रा को संलिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमों अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) अध्ययन केंद्र

स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) का अध्ययन केंद्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय वर्ष 2010 से संचालित किया जा रहा है। यूओयू की स्थापना नवंबर 2011 में उत्तराखंड शासन अधिनियम संख्या 23 द्वारा की गई। इस महाविद्यालय के अध्ययन केंद्र में वर्तमान में करीब विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं। जिनके लिए परामर्श सत्र नियमित रूप से महाविद्यालय में आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में संचालित किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

1-	Master Degree Program
2-	Bachelor Degree Program
3-	PG Diploma

नोट –समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल में होंगे उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत मान्यता अनुसार प्रवेश अन्य विश्वविद्यालययों के नियमित पाठ्यक्रम के साथ भी लिए जा सकते हैं अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी अध्ययन केंद्र कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं|

सामान्य नियम

1-महाविद्यालय द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में निर्गत सूचनाओं में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है|

2-परिसर में शांति व्यवस्था बनाना और कक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न ना करना विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी|

3- छात्र-छात्राएं अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित प्रभारी अथवा छात्र-छात्रा अधिष्ठाता से संपर्क करेंगे किसी भी परिस्थिति में छात्र-छात्राएं सीधे प्राचार्य से नहीं मिल पाएंगे

4- महाविद्यालय संचालन हेतु समय-समय पर जारी सूचनाओं सूचना पट पर लगा दी जाती हैं छात्र-छात्राएं प्रतिदिन सूचना पट पर लगाई गई जानकारी पर ध्यान दें

5- विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अनुशासित रहते हुए निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें

5.1- महाविद्यालय परिसर चार दिवारी तथा कक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का पोस्टर बैनर लगाना वर्जित है

5.2- विद्यार्थियों द्वारा अपने पास अगनेयस्त्रो को लेकर महाविद्यालय परिसर में घूमने अपराध होगा जिसकी तुरंत प्राथमिक सूचना दर्ज कराई जाएगी

5.3- विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना महाविद्यालय भवन के किसी हिस्से में पीक थूकना वर्जित है

5.4-महाविद्यालय की संपत्ति विद्यार्थियों की अपनी संपत्ति है फर्नीचर आदि की सुरक्षा करना प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व होगा

5.5- महाविद्यालय के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि भी महाविद्यालय में स्वच्छता एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूक रहेंगे

5.6- महाविद्यालय के मुख्य द्वार के आसपास तथा महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं द्वारा वाहन खड़ा करना निषेध है प्रत्येक छात्र अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करेंगे

5.7-महाविद्यालय परिसर में कक्षाओं के भीतर मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है

5.8-उत्तराखंडशासन एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है अतः छात्र – छात्राओं के लिए ड्रेस कोड का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य है अन्यथा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रवेश प्रक्रिया

1. महाविद्यालय के सभी कक्षाओं में प्रवेश ऑनलाइन पद्धति से होते हैं पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थी महाविद्यालय से प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर अंतिम तिथि से पूर्व महाविद्यालय में जमा करें
2. प्रवेश हेतु प्रवेशार्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों,अंतिम विद्यालय द्वाराप्रदत स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी) व चरित्र निर्माण पत्र सहित प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश संस्तुत तथा हस्ताक्षर प्रमाणित करवायेंगे। मूल टी.सी तथा चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रवेश होगा। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही महाविद्यालय का परिचय पत्र भी पूर्ण रूप से भरा जाएगा जो शुल्क जमा करने के साथ ही छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा। प्रवेशार्थी के प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। अनुपस्थिति की दशा में प्रवेश संभव नहीं होगा।मूल टी. सी के अभाव में प्रवेश स्वीकृत नहीं होगा
3. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश स्वीकृत कर दिया जाता है उन्हें महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर स्वीकृत प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा, तथा वरीयताक्रम में अगले प्रवेशार्थी को प्रवेश दिया जायेगा
4. विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम 1-12 पर विचार करना तभी संभव हो सकेगा जबकि नियमित विद्यार्थी बीमारी का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र और पुष्ट कारण के सापेक्ष साक्ष्य स्वरूप एफिडेविट प्रस्तुत करेगा।
5. प्रवेश की घोषित अंतिम तिथि के तुरंत बाद महाविद्यालय सूचना पट पर समय सारणी चस्पाकर दी जाएगी तद्नुसारअनुसार पठन-पाठन संपन्न होगा
6. प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय पत्र अपने पास सुरक्षित रखना नितांत आवश्यक है महाविद्यालय परिसर में बिना परिचय पत्र के प्रवेश पूर्णतया वर्जित है।
7. परिचय पत्र का दुरुपयोग रोकने के लिए इस सत्र में यह व्यवस्था की जा रही है कि परिचय पत्र खोने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी इस आशय का एक आवेदन पत्र शास्ता मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा सस्ता मंडल द्वारा उनकी विधवा जांच होगी और रुपया 50 (रुपया पचास मात्र)अतिरिक्त शुल्क देने के उपरांत ही परिचय पत्र की दूसरी प्रति निर्गत की जाएगी किसी विद्यार्थी के पास जाली परिचय पत्र पकड़े जाने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उसे विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी
8. छात्र/छात्राएं अपना प्रवेश परीक्षा छात्रवृत्ति आदि के कार्य स्वयं करें किसी की दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कार्य न करवाए अन्यथा जिम्मेदारी संबंधित छात्र-छात्रा की होगी।
9. प्रवेश हेतु स्वयं उपस्थित होवचालान प्राप्त कर स्वयं अपना शुल्क जमा करें साथ ही प्रवेश क्यों लिख उन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर जमा करना सुनिश्चित करें तत्पश्चात शुल्क हेतु निर्गत चालान स्वयं निरस्त समझ जाएगा
10. प्रवेश हेतु प्रवेश समिति के समक्ष अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है

विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर(बी०ए०/ बी०एस०-सी०/ बी०कॉम०/एम०ए०/एम०कॉम०/एम०एस०-सी०) की कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम शिक्षा सत्र: 2020-21

अध्याय-2 कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु योग्यता सूची निर्धारण के नियम स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली लागू की जा रहीहै।

2-1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा मेंभर्तीकी निर्धारित सीमा तकसंकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वाराइंटरमीडिएट कक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता आंखों के आधार पर कियेजायेंगे

2-1 (क)कला संकाय, दृश्य कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय केअन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षामें स्थानों कीनिर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार परप्रवेश हेतु अहर्ता निम्नवत होगी:-

(1)कलासंकाय, दृश्य कलाहेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिण्ट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3)वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

(4)अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिये प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

2.1 (ख) यदि किसी विद्यार्थी का अर्ह परीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित विषयों के अध्ययन में अवरोध आया हो तथा किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अनुर्तीर्ण न हुआ हों, तो प्रत्येक अवरोध वर्ष के लिये प्राप्तांकों में से 5 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता

2.1 (ग) यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (जैसे- विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालयमें प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में विधिवत प्रवेश लेने हेतु आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिये प्राप्तांकों में से 06 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा

सकता है। ऐसे प्रवेशित छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में आवंटित नामांकन संख्या का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रवेशित छात्रों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

2.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहिन से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया आयेगा, यदि स्थानान्तरण से पूर्व उसके भाई का प्रवेशपूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो। यह सुविधा तभी दी जा सकेगी जब की पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम 75 प्रतिशत कुमाऊँ विश्वविद्यालय से मिलता हो और जिसकी संस्तुति कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2.3 शिक्षणेत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्याल

स्तरपर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीयस्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर कुलपति अपने विवेक से प्रवेश दे सकते हैं।

2.4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश अनुमन्य करते हुये पठन-पाठन प्रारंभ किया जायेगा।

2.5 कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा:-

(1)कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण होनाअनिवार्य है तथा स्नातक की उपाधि कम से कम तीन वर्ष की होनी चाहिये) जिसने स्नातक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में कला संकाय के प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश अर्ह माना जायेगा।

(2)कला स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को भी यह सुविधा रहेगी कि वे कला संकाय के किसी भी ऐसे विषय में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे, जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा न होती हो। कला संकाय के किसी प्रयोगात्मक विषय (भूगोल के अतिरिक्त) स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु वे ही छात्र अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक उपाधि उस प्रयोगात्मक विषय को लेकर प्राप्त की हो।

महाविद्यालय में संचालित विषय (स्नातक)-

1.हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. संस्कृत, 4.अर्थशास्त्र, 5. शिक्षाशास्त्र, 6. राजनीतिशास्त्र,

7. समाजशास्त्र, 8. इतिहास, 9. गृहविज्ञान, 10. चित्रकला

महाविद्यालय में संचालित विषय (स्नातकोत्तर)-

1.हिन्दी, 2. संस्कृत 3. गृहविज्ञान 4. चित्रकला

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रुपों में से विषयों का चयन निम्नवत् किया जायेग-

ग्रुप A से B तक के ग्रुपों में से किसी भी ग्रुप में से एक-एक विषय का चयन करते हुये कुल 03 विषय चयन करें तथा ग्रुप H में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य रुप से करें।

GROUP A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
English Lit (141) अंग्रेजी सहित्य	**Economics (121)** अर्थशास्त्र	**History (171)** इतिहास	**Home Science (201)** गृहविज्ञान	**Political science (253)** राजनीतिशास्त्र	**Hindi lit (161)** हिन्दी **सहित्य**	**Sociology (281)** समाज शास्त्र	**Hindi Lang (321)** हिन्दी भाषा
Sanskrit Lit (271) संस्कृत **सहित्य**	**Drawing &Painting (111)** चित्रकला						**English Lang (311)** अंग्रेजी भाषा
	Education (131) शिक्षाशास्त्र						**Sanskrit Lang (331)** संस्कृत भाषा

पर्यावरण विज्ञान

उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, यू0जी0सी0 द्वारा विश्वविद्यालयों में पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन को स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में अनिवार्य विषय के रुप में संचालित किया जा रहा है। विद्यार्थी को स्नातक डिग्री इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने पर ही दी जायेगी।

यह पाठ्यक्रम पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सम्मिलित किया गया है।

टिप्पणीः-

प्राप्तांकों के आधार पर निम्नांकित ग्रेड दिये जाऐंगे तथा उत्तीण होना (न्यूनतम 'सी' ग्रेड प्राप्त करना) अनिवार्य होगा।

A- 75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक

B- 60-70 प्रतिशत प्राप्तांक

C- 45-59.9 प्रतिशत प्राप्तांक

D- 30-44.9 प्रतिशत प्राप्तांक

E- 30 प्रतिशत से कम (अनुत्तीर्ण)

महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी

प्राचार्य - डॉ संतोष कुमार

प्राध्यापक वर्ग

1. डॉ बी0 सी तिवारी (एसो0 प्रो0) (इतिहास विभाग)
2. डॉ नीता शाह (असि0प्रो0) (हिन्दी विभाग)
3. श्रीमती ममता सुयाल(असि0प्रो0) (चित्रकला विभाग)
4. डॉ मुन्ना जोशी (असि0प्रो0) (संस्कृत विभाग)
5. डॉ पवन कुमार झा (असि0 प्रो0) (अर्थशास्त्र विभाग)
6. कु0 एल्बा मंड्रेले(असि0प्रो0) (अंग्रेजी विभाग)
7. डॉ0 बलजीत (असि0प्रो0) (संस्कृत विभाग)
8. कु0 प्रियंका गुप्ता (असि0प्रो0) (गृहविज्ञान)
9. श्रीमती भगवती टम्टा (असि0प्रो0) (राजनीतिविज्ञान)
10. दिव्या पाठक (असि0प्रो0) (हिन्दी विभाग)
11. डॉ0 शालिनी पाठक (संविदा प्रवक्ता) (संस्कृत विभाग)
12. डॉ कल्पना जोशी (गेस्ट फैकल्टी) (समाजशास्त्र विभाग)
13. श्रीमती रेनू जोशी (गेस्ट फैकल्टी) (शिक्षाशास्त्र विभाग)
14. कु0पूजा लोहिया (गेस्ट फैकल्टी) (गृहविज्ञान)
15. कु0निवेदिता लोहिया (नितान्त अस्थायी) (चित्रकला विभाग)
16. डॉ राजेन्द्र सिंह बिष्ट (नितान्त अस्थायी) (हिन्दी विभाग)
17. डॉ दीप्ति लोहनी (नितान्त अस्थायी) (गृहविज्ञान विभाग)
18. डॉ भावना जोशी (नितान्त अस्थायी) (चित्रकला विभाग)

तृतीय श्रेणी कर्मचारी

1. श्री दीपक आर्या (कनिष्ठ सहा0)

प्रयोगशाला सहायक

2. कु0 सरस्वती गर्ब्याल (प्रयो0 सहा0 भूगर्भ विज्ञान)
3. श्रीमती संगीता ध्यानी (प्रयो0 सहा0 गृह विज्ञान)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्रीमती हंसी देवी (उपनल)
2. श्री नवीन सिंह (उपनल)
3. श्री रवि धपोला (उपनल)
4. श्री रोहित आर्या (PRD)

महाविद्यालय के प्रभारीगण

1.	प्रवेश समिति (बी0ए0 प्रथम एवं द्वितीय सेम0) बी0ए0 तृतीय एवं चतुर्थ सेम0 बी0ए0 पंचम एवं षष्ठ सेम0	श्रीमती ममता सुयाल डॉ0 बी0 सी0 तिवारी डॉ0 नीता शाह
2.	अनुशासन मण्डल (शास्ता मण्डल/ रैगिंग निषेध)	डॉ0 बी0सी0 तिवारी
3.	समन्वयक उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	डॉ0 मुन्ना जोशी
4.	महिला उत्पीडन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	डॉ0 नीता शाह
5.	एन0एस0एस प्रभारी	डॉ0 नीता शाह, डॉ पवन कुमार झा
6.	एन0सी0सी0 प्रभारी	डॉ0 मुन्ना जोशी
7	करियर काउंसलिंग	कु0 एल्बा मंड्रेले
8.	क्रीड़ा प्रभारी	डॉ0 बी0सी0 तिवारी
9.	पुस्तकालय प्रभारी	दिव्या पाठक
10.	निर्धन छात्र सहायता समिति	डॉ0 बी0सी0 तिवारी
11.	शिक्षक अभिभावक संघ	डॉ0 मुन्ना जोशी
12.	सांस्कृतिक परिषद	दिव्या पाठक
13.	सूचना का अधिकार	डॉ0 बी0सी0 तिवारी
14.	छात्रवृत्ति	श्रीमती भगवती टम्टा
15.	पुरातन छात्र परिषद	डॉ0 नीता शाह
16	छात्रसंघ	डॉ0 नीता शाह

स्व0 चन्द्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यलय, कपकोट (बागेश्वर)
दूरभाष फैक्स - 05963 253433
ईमेल- kapkotebgr@gmail.com,Website: www.gdckapkote.in

प्राचार्य संतोष कुमार मोबाईल- 8791566033

कनिष्ठ सहायक (उपनल) दीपक आर्या मोबाइल-9720159455

विवरणिका संयोजक - डॉ कल्पना जोशी
सदस्य - कु0 पूजा लोहिया
श्रीमती संगीता ध्यानी